Result Mitra Daily Magazine

मंदिरों का राजकीय प्रबंधन

✓ **हालिया संदर्भ:**

- तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद ने हिंदूवादी संगठनों की ओर से हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की मांग को पुनर्जीवित कर दिया।
- विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि मंदिरों पर सरकार का निरंतर नियंत्रण मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं औपनिवेशिक काल की मानसिकता को दर्शाता है।
- आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंदिर से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए 'सनातन धर्म रक्षण बोर्ड' की स्थापना की मांग की है।

✓ **भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन :**

- मुस्लिम एवं ईसाई समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्ट या बोर्ड के माध्यम से अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन किया जाता है, जबकि हिंदुओं, जैन एवं सिखों से संबंधित पूजा-स्थलों पर सरकार का बेहद प्रभाव है।

- कई राज्यों ने विशेष कानूनी प्रावधानों के जरिए हिंदू मंदिरों के आय–व्यय सहित प्रबंधन कार्य में अपना (सरकार) नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
- ये मंदिर ट्रस्ट या नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं, जिनका नियंत्रण सरकार करती है।
- तिरुपति मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा किया जाता है, जो प्रत्यक्षतः आंध्रप्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। TTD प्रमुख की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
- तमिलनाडु (सरकारी नियंत्रण में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर वाला राज्य) में मंदिरों के प्रबंधन के लिए हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती नामक अलग विभाग है।

✓ विवाद का मूल विषय :

- मंदिरों पर नियंत्रण रखने वाले ज्यादातर राज्य मंदिरों से प्राप्त आय (चढ़ावे एवं दान) का एक बड़ा हिस्सा मंदिरों के प्रशासन, प्रबंधन एवं ऐसे कल्याणकारी उपाय के लिए करते हैं, जो मंदिरों से जुड़ी भी होती है और नहीं भी (अन्य सामाजिक कल्याण) जैसे-स्कूल, अस्पताल या अनाथालय को वित्तिय मदद देना।
- राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने मंदिरों के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए कानून बना रखे हैं।
- माता वैष्णो देवी मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर एक्ट, 1988 के प्रावधानों द्वारा राज्य–नियंत्रण में संचालित किया जाता है।

✓ अनुच्छेद-25 :

- सभी राज्य मंदिरों/धार्मिक संस्थाओं पर कानून बनाने की विधायी शक्ति अनुच्छेद–25 से अप्रत्यक्षतः प्राप्त करते हैं।

- धार्मिक संस्थानो पर कानून समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बनाने की शक्ति रखते हैं।
- अनुच्छेद-25, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25–28) के तहत एक मूल अधिकार है।
- अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि वह :

(i) धार्मिक आचरण से संबंधित किसी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी लौकिक कार्यों का विनियमन अथवा निर्बंधन करें एवं

(ii) सामाजिक कल्याण के लिए अथवा सार्वजनिक प्रकार की हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदू के सभी उपवर्गों को तथा अनुभागों के लिए खोलने का प्रयास करें।

Note :- अनुच्छेद-25 में यह वर्णित है कि अनुच्छेद–25 में वर्णित 'हिंदुओं' में जैन, सिख एवं बौद्ध भी शामिल है।

✓ सरकारी नियंत्रण का इतिहास :

- प्राचीन एवं मध्यकाल में राजा मंदिरों को धन एवं भूमि दान देते थे, जो उस दौर में अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति दोनों के केंद्र थे।
- मंदिरों ने शहर–विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।
- प्राचीन काल में मंदिरों ने सिंचाई, शिक्षा एवं कृषि को बढ़ावा देने में योगदान दिया।
- अंग्रेजों ने सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव के साथ-साथ मंदिरों को धन के विशाल भंडार के रूप में देखा।
- 1810–1817 के दौरान अंग्रेजों ने कानूनी प्रावधान के जरिए मंदिरों पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया।

- 1863 के धार्मिक बंदोबस्ती एक्ट के जरिए मंदिरों का नियंत्रण एक्ट में वर्णित नियुक्ति समितियों को सौंप दिया गया।
- सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आधिकारिक ट्रस्टी एक्ट तथा 1920 के धार्मिक ट्रस्ट एक्ट ने ब्रिटिश को मंदिरों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की।

Note :- हिंदू मंदिरों पर पहले विशेष कानून 1925 में मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती एक्ट के तहत बनाया गया। इस एक्ट ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम से शक्ति प्राप्त की, जिससे प्रांतीय सरकारों को बंदोबस्ती के मामलों पर विधायी (कानून बनाने) की शक्ति प्राप्त हुई।

- इस कानून के तहत मंदिर नियंत्रक बोर्ड को काफी विस्तारित शक्ति प्राप्त हुई थी।
- स्वतंत्र भारत में इस तरह का पहला एक्ट 1951 का मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम था और इसी समय बिहार में भी ऐसा ही कानून पारित हुआ।
- अधिकांश दक्षिणी राज्यों में इस संदर्भ में समान कानूनी संरचना है।
- कई राज्यों ने सभी जातियों एवं वर्गों के मंदिर में प्रवेश सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सरकारी हस्तक्षेप पर बल दिया।

✓ नियंत्रण समाप्ति की मांग :

- 1959 में काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में RSS ने पहला पारित कर मंदिरों पर कानूनी नियंत्रण समाप्त करने की मांग की।
- विश्व हिंदू परिषद ने 1970 से ही इस मुद्दे को बार-बार उठाया है।
- 1988 से RSS ने विशेष रूप से दक्षिणी मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटाने के लिए प्रदर्शन को संचालित किया।
- BJP भी पहले पिछले 10 वर्षों से ऐसे मांग को दोहराती रही है।
- 2023 में PM मोदी ने भी तमिलनाडु सरकार पर मंदिरों पर नियंत्रण स्थापित करने का आरोप लगाया था।

Result Mitra TM

- 2017 एवं 2019 में बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने इस संदर्भ में निजी विधेयक भी पेश किया था।
- 2019 में उत्तराखंड सरकार ने चार धाम मंदिरों के लिए नियंत्रक कानून बनाया लेकिन विरोध के बाद 2021 में सरकार ने इसे वापस ले लिया।
- 2023 में मध्य प्रदेश ने भी मंदिरों के सरकारी नियंत्रण में ढील दी।
- वर्तमान तक इस संदर्भ में एक भी केंद्रीय कानून पारित नहीं हुआ है।

✓ **न्यायिक टिप्पणी:**

- 1954 के शिरूर मठ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो धार्मिक संप्रदाय के प्रशासन को छीन लेता है और इसे किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप देती है, वह अनुच्छेद–26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) के खंड–D का उल्लंघन है।
- हालांकि SC ने यह भी कहा कि राज्य के पास धार्मिक संस्थानों के प्रशासन को भी विनियमित करने का अधिकार है।
- 1996 के पन्नालाल बंसीलाल मामले (VS आंध्र प्रदेश) मामले में SC ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।
- रतिलाल पनचंद गांधी VS बाम्बे राज्य मामले में SC ने कहा कि धार्मिक प्रबंधन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन राज्य वैध प्रावधानों के माध्यम से मंदिर संपत्तियों के प्रशासन को विनियमित कर सकता है।

Result Mitra TM